प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II/III & Hisar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I, II, Hisar.
4. Dy. Director (IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I & Hisar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Sonepat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind & Mewat.
6. Assistant Director, (IS&H) Yamuna Nagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonepat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa.
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad & Gurgaon-II.
8. AD (IH cum CS) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon & Hisar.
9. Accounts Branch for uploading on department's site.

क्रमांक संख्याः 10499-550 दिनांकः– 31/03/25

विषयः– **नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235–सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर–60 उप शीर्ष–200–अण्डर स्कीम–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों की समेंकित संख्या तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान (10/– रु0 प्रति माह प्रति व्यक्ति) के हिसाब से जो कर्मचारी जनवरी, 2024 से पहले सेवा में हैं उनकी समेकित सूचना (01.09.2024 से 31.12.2024 तक) मासिक तौर पर संलग्न प्रोफार्मा तथा उपरोक्त दिए गए हेड में Contingency Bill के द्वारा राशि Book Transfer के माध्यम से उक्त हेड एवम् सरकारी खजाने में जमा करवाकर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार मुख्यालय में सूचना एक सप्ताह के भीतर विभाग की ई–मेल acclabour16@gmail.com पर भिजवाने का कष्ट करें। सूचना समय पर न भिजवाने की अवस्थ में अगर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त समेकित सूचना प्रतिवर्ष जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक हर छः महीने बाद मासिक तौर पर संलग्न प्रोफार्मा तथा उपरोक्त दिये गये हेड में Contingency Bill के द्वारा राशि Book Transfer के माध्यम से उक्त हेड एंव सरकारी खजाने में जमा करवाकर मुख्यालय को सूचना भेजना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. उपरोक्त प्रोफार्मा

लेखा अधिकारी,
कृते श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Name of Department –

Sr. No.	Month/Year	Total number of Government Class IV employees (H.O. & Field Consolidated)	Total amount of Book Transfer per month (under Major Head 2235 of GIS)	Remarks

Note: Please give specific reason, why the deduction is not being done properly.

Ao